

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 28

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1233.86	16.54	1250.40	1603.00	15.33	1618.33	1601.22	17.11	1618.33	1614.00	17.58	1631.58	
पूँजी	139.45	4.00	143.45	137.00	4.00	141.00	137.00	4.00	141.00	127.00	4.00	131.00	
जोड़	1373.31	20.54	1393.85	1740.00	19.33	1759.33	1738.22	21.11	1759.33	1741.00	21.58	1762.58	
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाएं													
1.01 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	6.76	6.76	...	5.99	5.99	...	7.77	7.77	...	7.20	7.20
1.02 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	9.78	9.78	...	9.34	9.34	...	9.34	9.34	...	10.38	10.38
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाएं	16.54	16.54	...	15.33	15.33	...	17.11	17.11	...	17.58	17.58
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	71.23	...	71.23	132.87	...	132.87	132.87	...	132.87	103.00	...	103.00
	3601	470.31	...	470.31	490.13	...	490.13	490.13	...	490.13	530.00	...	530.00
जोड़	541.54	541.54	623.00	...	623.00	623.00	...	623.00	633.00	...	633.00
3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	14.98	...	14.98	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. पूर्वोत्तर विकास निगम को ऋण													
4.01 पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को आयोजना भिन्न ऋण	6851	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
4.02 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम को ऋण	6851	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़- पूर्वोत्तर विकास निगम को ऋण	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)	6885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय संसाधन पूल से अनुदान	3601	668.62	...	668.62	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	799.00	...	799.00
7. बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद के लिए विशेष पैकेज	3601	3.15	...	3.15	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
8. पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना (एनईएसआरपी)-ईएपी	3601	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00
9. विज्ञापन और प्रचार	2250	4.82	...	4.82	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
10. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	13.23	...	13.23	19.50	...	19.50	17.72	...	17.72	20.00	...	20.00
11. अन्य कार्यक्रम	4552	64.47	...	64.47	72.00	...	72.00	72.00	...	72.00	62.00	...	62.00
12. एनईआर आजीविका परियोजना http://indiabudget.nic.in	2552	2.50	...	2.50	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(एनईआरएलपी)-ईएपी													
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के उन्नयन हेतु विशेष निधि के तहत योजनाएं	4552	17.42	...	17.42	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	170.00	...	170.00
13.01 सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से प्राप्त राशि घटाएं	4552	-17.42	...	-17.42	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-170.00	...	-170.00
<i>निवल</i>
14. एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर सड़क परियोजना प्रबंधन एकक	2552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
15. एनएलसीपीआर योजना के तहत परामर्श, मॉनिटरिंग, तीसरा पक्ष मूल्यांकन प्रभार आदि।	2552	1.00	...	1.00
कुल जोड़		1373.31	20.54	1393.85	1740.00	19.33	1759.33	1738.22	21.11	1759.33	1741.00	21.58	1762.58
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)	12885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
जोड़		60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
2. सड़क एवं पुल	13054	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00	68.00	...	68.00
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	18.05	...	18.05	26.50	...	26.50	24.72	...	24.72	27.00	...	27.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2.50	...	2.50	35.50	...	35.50	35.50	...	35.50	36.00	...	36.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		80.55	...	80.55	190.00	...	190.00	188.22	...	188.22	191.00	...	191.00
राज्य योजना:													
1. पूर्वोत्तर परिषद	43601	620.99	...	620.99	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
2. पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल के संसाधनों से सहायता	43601	668.62	...	668.62	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00
3. बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद	43601	3.15	...	3.15	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़ - राज्य योजना		1292.76	...	1292.76	1550.00	...	1550.00	1550.00	...	1550.00	1550.00	...	1550.00
जोड़		1373.31	...	1373.31	1740.00	...	1740.00	1738.22	...	1738.22	1741.00	...	1741.00

2. इन योजनाओं का उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों का एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास शामिल है।

3. यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है जो निर्माण कार्य करता है तथा चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की ओर भी ध्यान केंद्रित करता है।

4.01. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी। उत्पादों के लिए विकासात्मक एवं संवर्धक निविष्टियाँ प्रदान करने और डिजाइन विकास, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों का दर्जा बढ़ाने और क्षेत्र के तैयार उत्पादों को बेचने की व्यवस्था करने के लिए स्थापना हुई। मंत्रालय, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को प्रदर्शनी में भागीदारी आदि जैसे संवर्धनात्मक कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए ऋण मुहैया कराता है।

4.02. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), एक केंद्रीय पीएसयू की स्थापना कार्यकारी आदेश से हुई और कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत 31 मार्च 1982 को भारत सरकार के उद्यम के रूप में निगमित हुआ। निगम कृषि उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण और व्यापार में मुख्यतः प्रचलित रहा है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए निगम द्वारा इस प्रावधान का उपयोग कार्यकारी पूंजी के रूप में किया जाएगा।

5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एन.ई.डी.एफ.आई.) का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 9 अगस्त, 1995 को किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है। एन.ई.डी.एफ.आई. का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक, आधारभूत ढांचा तथा कृषि बागवानी परियोजनाओं की पहचान कर उनका वित्तपोषण तथा देख-रेख करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें एनईडीएफआई को दीर्घावधिक सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए प्रावधान है।

6. नॉन-लेप्सेबल केंद्रीय संसाधन पूल का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के प्रवाह में वृद्धि कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आधारभूत ढाँचे के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह प्रावधान पूर्वोत्तर परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए है।

7. यह प्रावधान असम के बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं/योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए है।

8. यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण/अनुदान के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए है। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

9. व्यापार निकायों और अन्य अभिकरणों के सहयोग से व्यापार मेलों, सेमिनारों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रदर्शन संबंधी कार्यक्रमों और इसे देश के अन्य भागों के साथ मुख्यधारा में लाने का कार्य क्षेत्र की अत्यधिक संभाव्यता के दोहन हेतु विज्ञापन एवं प्रचार योजना के जरिए किया जाता है।

10. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों एवं युवाओं का क्षमता निर्माण परियोजना तैयार करने, कार्यान्वयन एवं अच्छे अभिशासन के लिए पहली आवश्यकता है, जिसके लिए इस योजना के तहत श्रेष्ठ केन्द्रों के साथ दीर्घकालीन सहयोग के जरिए प्रयास किया जा रहा है।

11. यह प्रावधान मुख्यतया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि. की मदद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा विमानपत्तनों के सुधार के लिए, और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्तःक्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा बढ़ाने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।

12. एनईआरएलपी पूर्वोत्तर क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या की प्राकृतिक स्रोत धारणीयता और आय, रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में बड़ा सूत्रपात है और ग्यारहवी योजना के दौरान चरणों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। यह प्रावधान एनईआरएलपी के संबंध में विश्व बैंक द्वारा परियोजना तैयार करने की सुविधा से संबंधित सलाहकार सेवाएं, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, माल और प्रचालन लागतों हेतु है।

13. यह प्रावधान विशेष तौर से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन और उन्नयन के लिए है।

14. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) के व्यय की पूर्ति के लिए है जिससे एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर सड़क परियोजना का कार्यान्वयन सुकर बनेगा।

15. यह प्रावधान मंत्रालय की एनएलसीपीआर योजना के तहत परामर्शसेवा, मॉनीटरिंग, तीसरे पक्ष का मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आदि की परियोजनाओं संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु है।